प्रथम सूचना रिपोर्ट
(दण्ड प्रकिया सहिता धारा 154 के अन्तर्गत)

1. जिला भ्र.नि.ब्यूरो, बांसवाडा थाना सी.पी.एस. ए.सी.बी. जयपुर वर्ष, 2022
प्र.इ.रि.स. 147/2022 दिनांक 28/4/2022

2. (i) अधिनियम पीसी एक्ट 1988 धारायें – धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम, 2018
(ii) अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता –
(iii) अधिनियम – धारायें –
(iv) अन्य अधिनियम एवं धारायें –

3. (अ) रोमनामचा आम रपट संख्या 531 समय 5:40 P.M.
(ब) अपराध के घटने का दिन व समय: बुधवार दिनांक 27.04.2022 समय 04.40 पीएम
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक : 25.04.2022

4. सूचना की किस्म : लिखित/मौखिक : लिखित

5. घटना स्थल :
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दुरी : दक्षिण दिशा दुरी लगभग 600 किलो मीटर
(ब) पता : ग्राम पंचायत वरदा पंचायत समिति सागवाडा जिला डूंगरपुर
.....बीट संख्या .....जरायमदेही संख्या.....
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना सी0पी0एस0 जयपुर जिला चौकी भ्रनिब्यूरो, बांसवाडा

6. परिवादी/सूचनाकर्ता :

(अ) नाम :	– श्री नरेन्द्रपाल सिंह
(ब) पत्नी	– श्री लालसिंह
(स) जन्म तिथि/वर्ष	– 32 वर्ष
(द) राष्ट्रीयता :	– भारतीय
(य) पासपोर्ट संख्या	–..... जारी होने की तिथि.....
जारी होने की जगह.....	–.....
(र) व्यवसाय	– ठेकेदारी
(छ) पता	– गांव वरदा तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर।

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित : आरोपिया श्रीमती फुलवंती देवी रोत पत्नि श्री अर्जुन लाल रोत उम्र 59 वर्ष जाति मीणा निवासी गांव वरदा तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर हाल सरपंच ग्राम पंचायत वरदा पंचायत समिति सागवाडा जिला डूंगरपुर

8. शिकायत/सूचना देने वाले द्वारा सूचना देरी में का कारण : कोई विलम्ब नहीं

9. चुराई हुई/संलप्ति सम्पति का विवरण (अगर आवश्यक हो तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)

10. चुराई हुई सम्पति का कुल मूल्य : – 18,000/– रूपये

11. मर्ग सूचना/अप्राकृति मृत्यु केस नंबर यदि कोई हो तो :–

12. प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषय वस्तु (मजमून)– आरोपिया श्रीमती फुलवंती देवी हाल सरपंच ग्राम पंचायत वरदा पंचायत समिति सागवाडा जिला डूंगरपुर द्वारा परिवादी श्री नरेन्द्रपाल सिंह के ग्राम पंचायत वरदा में स्वच्छ भारत मिशन(एसबीएम) योजना के अन्तर्गत कराये गये सोखते गड्डे निर्माण कार्य के भुगतान करने के एवज में दिनांक 25.04.2022 को रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान 18,000 रूपये रिश्वत मांगने की पुष्टि होने पर दिनांक 27.04.2022 को आरोपिया सरपंच द्वारा को परिवादी से रिश्वत राशि 18,000 रूपये लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया हैं। आरोपिया श्रीमती फुलवंती देवी हाल सरपंच ग्राम पंचायत वरदा पंचायत समिति सागवाडा जिला डूंगरपुर के विरूद्व जुर्म अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) एक्ट, 2018 का अपराध प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित है।

कार्यवाही पुलिस

दिनांक 25.04.2022 समय 10.48 एएम पर परिवादी श्री नरेन्द्रपाल सिंह पुत्र लालसिंह निवासी गांव वरदा तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर ने मोबाईल नम्बर 9784807038 से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल पर सम्पर्क कर बताया कि ग्राम पंचायत वरदा की सरपंच श्रीमती फुलवंती देवी द्वारा ग्राम पंचायत में एसबीएम योजना के अन्तर्गत सोखते खड्डों के फर्म ओम बन्ना कन्स्ट्रक्शन के भुगतान के एवज में 20,000 रुपये रिश्वत की मांग की जा रही है। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी को ब्यूरो की ट्रेप कार्यवाही की प्रकिया के बारे में भलीभांती समझाया गया। जिस पर परिवादी ने बताया कि मैं निजी काम से व्यस्त हुं किसी ब्यूरो कर्मी को गांव वरदा भिजवा दो रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही कर ली जायेगी तथा सरपंच श्रीमती फुलवंती द्वारा रिश्वत मांगने बाबत् प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत कर दूंगा। जिस पर परिवादी को हिदायत की गई कि ब्यूरो इकाई बांसवाडा से श्री लक्ष्मणसिंह कनिष्ठ सहायक मय डिजीटल टेप रिकॉर्डर के गांव वरदा पहूंचकर जरिये दूरभाष सम्पर्क करेगें नियमानुसार रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही की जावें। परिवादी को श्री लक्ष्मणसिंह कनिष्ठ सहायक के मोबाईल नम्बर नोट कराये गये। समय 12.10 पीएम पर श्री लक्ष्मणसिंह कनिष्ठ सहायक को ब्यूरो का डिजीटल टेप रिकोर्डर सुपूर्द कर परिवादी श्री नरेन्द्रपाल सिंह के मोबाईल नम्बर नोट करा कर गांव वरदा पहूंच कर परिवादी से सम्पर्क कर नियमानुसार प्रार्थना पत्र प्राप्त कर परिवादी को डिजीटल टेप रिकोर्डर देकर रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही कराने बाबत् मुनासिब हिदायत दी गई। श्री लक्ष्मणसिंह कनिष्ठ सहायक को ब्यूरो इकाई बांसवाडा से गांव वरदा जिला डूंगरपुर के लिये मय डिजीटल टेप रिकोर्डर के रवाना किया गया।

दिनांक 27.04.2022 समय 07.30 एएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ब्यूरो मुख्यालय राजस्थान जयपुर पर दिनांक 26.04.2022 को आयोजित अपराध गोष्ठी में सम्मिलित हेतु गया हुआ हाजीर ब्यूरो इकाई बांसवाडा आया हूं। दर्ज रहे कि दिनांक 25.04.2022 को श्री लक्ष्मणसिंह कनिष्ठ सहायक को डिजीटल टेप रिकोर्डर लेकर गांव वरदा पहूंच परिवादी श्री नरेन्द्रपाल सिंह से सम्पर्क कर रिश्वत मांग सत्यापन कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था जिस पर श्री लक्ष्मणसिंह कनिष्ठ सहायक गांव वरदा पहूंचकर परिवादी से सम्पर्क कर नियमानुसार रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही की जाकर जरिये दूरभाष श्री लक्ष्मणसिंह कनिष्ठ सहायक एवं परिवादी श्री नरेन्द्रपाल सिंह द्वारा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत् कराया गया था। श्री लक्ष्मणसिंह कनिष्ठ सहायक ने परिवादी द्वारा दिनांक 25.04.2022 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व डिजीटल टेप रिकोर्डर मालखाने से निकालकर पेश कर बताया कि दिनांक 25.04.2022 को ब्यूरो इकाई बांसवाडा से रवाना शुदा समय करीब 04.40 पीएम पर परिवादी श्री नरेन्द्रपाल से सम्पर्क कर प्रार्थना पत्र प्राप्त कर डिजीटल टेप रिकोर्डर सुपूर्द कर उसके संचालन की विधी समझाते हुए समय 05.35 पीएम पर रिश्वत मांग सत्यापन हेतु आरोपिया के घर गांव वरदा के लिये रवाना किया गया। समय 06.20 पीएम पर परिवादी बाद सत्यापन कनिष्ठ सहायक के पास आया और डिजीटल टेप रिकोर्डर सुपूर्द कर बताया कि आरोपिया श्रीमती फुलवंती द्वारा परिवादी के बिलों के भुगतान के एवज में 20,000 रुपये की रिश्वत की मांग करते हुए परिवादी के निवेदन पर 18,000 रुपये रिश्वत की मांग की गई है तत्पश्चात् समय 07.30 पीएम पर गांव वरदा से रवाना होकर दिनांक 26.04.2022 को समय 12.30 एएम पर ब्यूरो इकाई बांसवाडा पहूंच कर टेप रिकोर्डर को सुरक्षित मालखाने में रखा गया तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के जरिये दूरभाष निर्देशानुसार परिवादी को आज दिनांक 27.04.22 को रिश्वत राशि 18,000 रुपये लेकर समय 09.00 एएम पर ब्यूरो इकाई बांसवाडा पर उपस्थित आने हेतु पाबंद किया गया है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया तो परिवादी ने अंकित किया है कि " निवेदन है कि मैं ग्राम पंचायत वरदा का उप सरपंच हूं ग्राम पंचायत में एसबीएम के तहत योजना के लिये वर्ष 2021 में पंचायत समिति सागवाडा से नाली के गन्दे पानी को रोकने के लिये सोखते खड्डे के निर्माण हेतु प्रति खड्डा 18,200 रुपये की स्वीकृति प्राप्त हुई थी व मैने ग्राम पंचायत वरदा में 5 सोखते खड्डों का निर्माण कार्य माह जुलाई 2021 में पूर्ण कर लिया था मुझे उक्त कार्य पेटे 13,700 गुणा 5 खड्डे के हिसाब से 68,500 रुपये फर्म ओम बन्ना कन्स्ट्रक्शन के खाते में दिनांक 22.04.2022 को खाते में प्राप्त हुए है। उक्त काम पेटे श्रम मद में करीब–करीब 45,00 रुपये प्रति खड्डे के हिसाब से प्राप्त हुए थे व उक्त भुगतान के एवज में सरपंच द्वारा 20,000 रुपये की रिश्वत की मांग मुझसे की जा रही है मैं रिश्वत नही देकर श्रीमती फुलवंती रोत पत्नी अर्जुनलाल रोत को रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूं अतः कार्यवाही करें।" इत्यादि प्रस्तुत की गई है। डिजीटल टेप रिकोर्डर को सुना गया तो आरोपिया सरपंच द्वारा रिश्वत मांगने की पुष्ठि हुई है। प्रकरण में परिवादी के उपस्थित आने पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही की जानी है ट्रेप कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने पर श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर बांसवाडा को दो स्वतंत्र गवाहान अविलम्ब ब्यूरो इकाई बांसवाडा भिजवाने हेतु निवेदन किया गया। समय 09.00 एएम पर परिवादी श्री नरेन्द्रपाल सिंह पुत्र लालसिंह उम्र 32 वर्ष निवासी गांव वरदा तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर ब्यूरो ईकाई बांसवाडा पर हाजिर आया और बताया कि मैं ग्राम पंचायत वरदा का उप सरपंच हूं मैने ग्राम पंचायत में एसबीएम योजना के तहत 5 सोखते खड्डों का निर्माण कार्य माह जुलाई 2021 में पूर्ण कर दिनांक 16.07.2021 को फर्म ओम बन्ना कन्स्ट्रक्शन के नाम से पृथक–पृथक 05 बिल 13,700 रुपये के ग्राम पंचायत वरदा में लगाये गये थे। इसके बाद भुगतान हेतु कई बार सरपंच,सचिव से सम्पर्क किया तो टालम टोल कर भुगतान नही किया तथा अब दिनांक 22.04.2022 को उक्त कार्य पेटे 68,500 रुपये का भुगतान जरिये बैंक

खाते से प्राप्त हुआ। उक्त भुगतान हेतु सरपंच साहिबा श्रीमती फुलवंती देवी रोत द्वारा मुझसे 20,000 रुपये रिश्वत की मांग की जा रही है। मैं सरपंच साहिबा को रिश्वत नही देकर रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़वाने हेतु आपसे जरिये दूरभाष सम्पर्क किया था। दिनांक 25.04.2022 को श्री लक्ष्मणसिंह कनिष्ठ सहायक ब्यूरो की डिजीटल टेप लेकर गांव वरदा आकर मुझसे सम्पर्क करने पर मैने उनको सरपंच साहिबा द्वारा रिश्वत मांग करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था तथा टेप रिकोर्डर प्राप्त कर उसके संचालन की विधी समझने के बाद रिश्वत मांग सत्यापन हेतु सरपंच साहिबा के घर जाकर वार्तालाप की तो सरपंच साहिबा द्वारा 20,000 रुपये रिश्वत की मांग की गई तथा मेरे निवेदन पर 18,000 रुपये रिश्वत लेने के लिये सहमत हुई थी उक्त वार्तालाप मैने ब्यूरो के टेप रिकोर्डर कर लिया और सत्यापन के बाद डिजीटल टेप रिकोर्डर श्री लक्ष्मणसिंह कनिष्ठ सहायक को सुपूर्द कर वार्तालाप के तथ्य बताये गये थे तथा आपसे भी जरिये दूरभाष वार्तालाप की गई थी। परिवादी ने यह भी बताया कि रिश्वत राशि 18,000 रुपये की व्यवस्था कर साथ लेकर आया हूं। परिवादी को सुरक्षित कमरे में बैठाया गया। समय 09.15 एएम पर जरिये दूरभाष तलबिदाशुदा गवाह श्री अमजद खान पठान हाल व्याख्याता राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय माकोद जिला बांसवाडा व श्री अनिल शर्मा हाल वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय माकोद जिला बांसवाडा जो ब्यूरो कार्यालय बांसवाडा पर उपस्थित आये। समय 09.25 एएम पर स्वतंत्र गवाह श्री अमजद खान व श्री अनिल शर्मा को ट्रेप कार्यवाही में सम्मिलित होने बाबत् अपने मनतव्य से अवगत कराया तो दोनों ने ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतन्त्र गवाह के रुप में उपस्थित रहने हेतु अपनी–अपनी मौखिक सहमति व्यक्त की। परिवादी को तलब कर स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी श्री नरेन्द्रपाल सिंह का आपस में परिचय करवाया गया तथा दिनांक 25.04.2022 को परिवादी की पेश रिपोर्ट को पढकर सुनाई गई तो स्वतंत्र गवाह के समक्ष ही परिवादी ने शब्द व शब्द सही होना स्वीकार किया तथा प्रार्थना पत्र अपने खुद कलमी लिखा होना बताया गया। परिवादी की रिपोर्ट पर दोनों स्वतन्त्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 09.40 एएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा डिजिटल टेप रिकार्डर में दिनांक 25.04.2022 को परिवादी श्री नरेन्द्रपाल सिंह व आरोपिया सरपंच श्रीमती फुलवंती देवी के बीच हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्तालाप टेप रिकोर्डर में रिकोर्ड हैं को कार्यालय के कम्प्यूटर से कनेक्ट करा मूल एवं डब सीडीयां तैयार कराई गई। मूल सीडी को परिवादी व स्वतंत्र गवाहान के समक्ष सुना जाकर श्री लक्ष्मणसिंह कनिष्ठ सहायक से फर्द ट्रांसक्रिप्ट मुर्तिब कराई जाकर फर्द पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। मूल सीडी को एक कपडे की थैली में डालकर थैली पर एक कागज की चीट लगाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर सीडी को नियमानुसार सील्ड की गई। समय 11.45 एएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपिया श्रीमती फुलवंती देवी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि परिवादी श्री नरेन्द्रपाल सिंह से मांगने पर उसने उपरोक्त स्वतंत्र गवाहों के समक्ष अपने पास से 500–500 रूपये के 36 नोट कुल 18,000 रूपये भारतीय चलन मुद्रा के प्रस्तुत किए। उपरोक्त समस्त नोटो के नम्बर निम्नानुसार हैं :–

1	500 रूपये का एक नोट नम्बर	4GC	407814
2	500 रूपये का एक नोट नम्बर	5GA	134584
3	500 रूपये का एक नोट नम्बर	5ND	775926
4	500 रूपये का एक नोट नम्बर	3EH	648466
5	500 रूपये का एक नोट नम्बर	3CP	457333
6	500 रूपये का एक नोट नम्बर	7MM	234031
7	500 रूपये का एक नोट नम्बर	1ML	876929
8	500 रूपये का एक नोट नम्बर	1BV	715419
9	500 रूपये का एक नोट नम्बर	2FW	631487
10	500 रूपये का एक नोट नम्बर	2QE	779934
11	500 रूपये का एक नोट नम्बर	7LW	828973
12	500 रूपये का एक नोट नम्बर	3BQ	122115
13	500 रूपये का एक नोट नम्बर	4RR	604960
14	500 रूपये का एक नोट नम्बर	8MV	183707
15	500 रूपये का एक नोट नम्बर	5PA	076306
16	500 रूपये का एक नोट नम्बर	0AD	962621
17	500 रूपये का एक नोट नम्बर	7GG	168606
18	500 रूपये का एक नोट नम्बर	9BR	335001
19	500 रूपये का एक नोट नम्बर	5FW	570332
20	500 रूपये का एक नोट नम्बर	2LA	938137
21	500 रूपये का एक नोट नम्बर	3QF	006424
22	500 रूपये का एक नोट नम्बर	0QV	765485
23	500 रूपये का एक नोट नम्बर	2NV	894804
24	500 रूपये का एक नोट नम्बर	3DT	705739
25	500 रूपये का एक नोट नम्बर	5TH	256316
26	500 रूपये का एक नोट नम्बर	3EA	671510
27	500 रूपये का एक नोट नम्बर	0BR	682043
28	500 रूपये का एक नोट नम्बर	6FD	089668

29	500 रूपये का एक नोट नम्बर	6DP	074121
30	500 रूपये का एक नोट नम्बर	0DE	388388
31	500 रूपये का एक नोट नम्बर	5EL	404493
32	500 रूपये का एक नोट नम्बर	9WN	220211
33	500 रूपये का एक नोट नम्बर	6BB	095862
34	500 रूपये का एक नोट नम्बर	8LM	447539
35	500 रूपये का एक नोट नम्बर	4LH	018787
36	500 रूपये का एक नोट नम्बर	9ME	552682

मालखाने से फिनोफथलीन की शिशी श्री गणेशप्रसाद हैड0 कानि0 के निकलवाई जाकर फिनॉफ्थेलीन पाउडर को उपरोक्त समस्त नोटों के दोनों और लगवाया जाकर नोटो को परिवादी श्री नरेन्द्रपालसिंह की पहनी हुई पेन्ट की बांयी जैब में कोई वस्तु नहीं छोडते हुये रखवाये गये तत्पश्चात् श्री राजेश कानि0 से एक साफ कॉच के गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया जाकर इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग नही बदला। इस रंगहीन घोल में श्री गणेशप्रसाद हैड0 कानि0 की दोनों हाथों की अंगुलियों व अंगुठे को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनॉफ्थेलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर बताई एवं उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि यदि आरोपी परिवादी से रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगा तो नोटों पर लगा फिनॉफ्थेलीन पाउडर उसके हाथों की अंगुलियों व अंगुठे पर लग जाएगा तथा सोडियम कार्बोनेट के घोल में आरोपी के हाथ धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा, जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वती राशि मांगकर अपने हाथों से ग्रहण की हैं। उक्त गुलाबी घोल को श्री गणेशप्रसाद हैड0 कानि0 से कार्यालय के बाहर फिकवाया गया तथा उपरोक्त कांच के गिलास को साफ पानी व साबुन से धुलवाये गए। श्री गणेशप्रसाद हैड0 कानि0 एवं श्री राजेश कानि0 के दोनों हाथ साफ पानी व साबुन से अच्छी तरह धुलवाये गये। तत्पश्चात् परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि वह आरोपी के द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर ही उसे देवे तथा रिश्वती राशि देने से पूर्व या देने के बाद उससे हाथ नही मिलावे तथा न ही उसके शरीर के किसी अंग को छुए। यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो दूर से हाथ जोडकर अभिवादन करें। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रदर्शन न करें, तथा रिश्वती राशि दे दिये जाने के बाद अपने सिर पर दो बार हाथ फैर कर या अपने मोबाईल नम्बर से मन् अति0 पुलिस अधीक्षक के मोबाईल नम्बर पर मिस कॉल करके आरोपी को रिश्वत राशि दिये जाने का ईशारा करें। यह निर्धारित इशारा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को समझाया गया। फिनोफथलीन पाउडर की शिशी को सुरक्षित मालखाने में रखा गया। ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाली कांच की शीशीयॉ, गिलास, ढक्कन, चम्मच इत्यादि को श्री राजेश कानि0 से साफ पानी व साबुन से अच्छी तरह धुलवाये जाकर ट्रेप बाक्स में रखवाये गये। तत्पश्चात् गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को यह भी हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी–अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादी तथा आरोपी के मध्य रिश्वती राशि के लेन–देन को देखने व सुनने का प्रयास करें। समय 12.15 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री नरेन्द्रपाल सिंह को आरोपिया सरपंच को दी जाने वाली रिश्वत राशि लेन–देन वक्त होने वाली वार्ता को रिकोर्ड करने हेतु मिनी डिजीटल टेप रिकोर्डर उसके संचालन की विधि समझायी जाकर जरिये फर्द सुपूर्द किया गया। समय 12.20 पीएम पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक व स्वतंत्र गवाहान श्री अमजद खान, श्री अनिल शर्मा व ब्यूरो जाप्ता श्री राजेश कुमार कानि0, श्री महेश कानि., श्रीमती पुनम महिला कानि. मय ट्रेप बाक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर व आवश्यक संसाधन के प्राईवेट वाहन मय चालक व श्री पंकज कुमार कानि., श्री लक्ष्मणसिंह कनिष्ठ सहायक व परिवादी को परिवादी की निजी वाहन से ब्यूरों इकाई बांसवाडा से गांव वरदा जिला डूंगरपुर के लिये रवाना हुआ। समय 01.50 पीएम पर मन् अति0 पुलिस अधीक्षक, दोनों स्वतंत्र गवाहान व ब्यूरो जाप्ता व परिवादी के अपने–अपने वाहनों से बस स्टेण्ड वरदा के पास पहूंच कर परिवादी के मोबाईल से आरोपिया सरपंच साहिबा के मोबाईल पर वार्ता कराई गई तो आरोपिया द्वारा समय करीब 04.00 पीएम पर ग्राम पंचायत वरदा या बस स्टेण्ड के आसपास मिलने हेतु कहा गया। जिस पर परिवादी श्री नरेन्द्रपाल सिंह व श्री पंकज कानि., श्री लक्ष्मणसिंह कनिष्ठ सहायक को गांव वरदा के लिये रवाना कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाह व ब्यूरो जाप्ता जरिये प्राईवेट वाहन से गांव ठाकरड़ा के पास पहूंच मूकिम हुआ। समय 04.10 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान व ब्यूरो जाप्ता के गांव ठाकरडा से रवाना शुदा गांव वरदा के बस स्टेण्ड के आस पास पहूंच परिवादी श्री नरेन्द्रपाल सिंह से सम्पर्क कर परिवादी के मोबाईल से आरोपिया के मोबाईल पर सम्पर्क कराया गया तो आरोपिया ने ग्राम पंचायत वरदा पर थोड़ी देर में मिलने हेतु कहा गया। जिस पर परिवादी को मुनासिब हिदायत कर ग्राम पंचायत के लिये रवाना कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्वतंत्र गवाहान व ब्यूरो जाप्ते के प्राईवेट वाहन में ग्राम पंचायत वरदा के पास पहूंचकर वाहन से उतरकर परिवादी के ईशारे के इन्तजार में मूकिम हुआ। समय 04.40 पीएम पर परिवादी श्री नरेन्द्रपाल सिंह ने ग्राम पंचायत वरदा के भवन के सामने खुले चौक में खड़े होकर आरोपिया द्वारा रिश्वत राशि ग्रहण करने बाबत् पूर्व निर्धारित ईशारा अपने सिर पर दो बार हाथ फैरने का करने पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, स्वतंत्र गवाहान मय ब्यूरो जाप्ता तेज कदमो से चलते हुए परिवादी के पास पहूंचा तो परिवादी ने टेप रिकोर्डर प्रस्तुत किया जिस बंद कर अपने पास सुरक्षित रख लिया। परिवादी ने बताया कि सरपंच साहिबा फुलवंती द्वारा रिश्वत राशि अपने

हाथों से ग्रहण कर गिनकर एक सफेद कागज में लपेट कर उनके पहने हुए ब्लाउज में रख लिये है और वो अन्दर ही बैठे हुए है। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्वतंत्र गवाहान व परिवादी तथा ब्यूरो जाप्ता के साथ पंचायत भवन में प्रवेश किया तो वहां हॉल में टेबल कुर्सी पर एक महिला साड़ी ब्लाउज पहनी बैठी हुई की ओर परिवादी ने ईशारा कर बताया कि यही श्रीमती फुलवंती देवी सरपंच है जिन्होने अभी अभी मुझसे रिश्वत राशि मांग कर अपने दोनो हाथों से ग्रहण कर गिनकर एक सफेद कागज में लपेटकर इनके पहने हुए ब्लाउज मे बांयी ओर रख लिये है। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना व हमराहियानों का परिचय देते हुए अपने आने का मन्तव्य बताया व उनसे नाम पता पुछा तो उसने अपना नाम फुलवंती देवी पत्नी श्री अर्जुनलाल रोत उम्र 59 वर्ष निवासी गांव वरदा हाल सरपंच ग्राम पंचायत वरदा पंचायत समिति सागवाडा जिला डूंगरपुर होना बताया गया। आरोपिया को परिवादी श्री नरेन्द्रपाल सिंह से रिश्वत राशि 18,000 रुपये अभी–अभी किस बात के ग्रहण किये गये है के बारे में पूछा गया तो आरोपिया ने बताया कि श्री नरेन्द्रपाल सिंह ग्राम पंचायत वरदा के उप सरपंच है मैने कोई रिश्वत राशि ग्रहण नही की है मैंने इनको उधार दिये पैसे प्राप्त किये है। जिस पर मौके पर उपस्थित परिवादी ने कहा कि सरपंच साहिबा झूठ बोल रही है ग्राम पंचायत में किसी भी निर्माण कार्य में बिना रिश्वत लिये काम नही करती है ग्राम पंचायत में एसबीएम योजना के तहत पंचायत समिति सागवाडा से गन्दे पानी को रोकने के लिये सोखते खड्डे हेतु वर्ष 2021 में स्वीकृति प्राप्त होने पर माह जुलाई 2021 को 5 सोखते खड्डे का निर्माण कार्य फर्म ओम बन्ना कन्स्ट्रक्शन के माध्यम से पूर्ण कर लिया जिनका करीब एक वर्ष बाद दिनांक 22.04.2022 को ग्राम पंचायत से 68,500 रुपये का भुगतान प्राप्त हुआ तथा उक्त कार्य के श्रम मद में करीब 45,00 रुपये प्रति खड्डे अलग से प्राप्त हुए थे। सरपंच साहिबा द्वारा उक्त कार्य के बिलों के भुगतान समय पर नही कर एक वर्ष तक घुमाते रहे और 20,000 रुपये रिश्वत की मांग की गई और उनकी मांग अनुसार आज 18,000 रुपये इन्होने उक्त बिलो के भुगतान के एवज में रिश्वत के रुप में मुझसे प्राप्त कर ग्रहण किये है। सरपंच साहिबा से मेरी किसी प्रकार की कोई उधारी लेनदेन बाकियात नही है केवल अपने बचाव में झूठ बोल रहे है इस पर सरपंच श्रीमती फुलवंती देवी एक दम चुप हो गयी और रोने लग गयी। स्वतंत्र गवाहान व ब्यूरो जाप्ते व परिवादी की उपस्थिति में ससम्मान पूर्वक आरोपिया की पहनी हुई ब्लाउज की तलाशी श्रीमती पुनम महिला कानि. से लिवाई गयी तो ब्लाउज के बांयी साईड से एक सफदे कागज में लपेटे हुए 500–500 रुपये के कुछ नोट बरामद हुए जिनका दोनो स्वतंत्र गवाहनों से पूर्व में मूर्तिब की गई फर्द पेशकशी सुपूर्दगी नोट से कराया गया तो नोट हुबहू फर्द पेशकशी में अंकित नम्बरों के पाये गये। उक्त 500–500 रुपये के 36 नोट कुल 18,000 रुपये बरामद हुए जिसे कब्जे ब्यूरो लिया गया। तथा बरामद शुदा रिश्वत राशि 18,000 रुपये को एक कागज की चीट लगाकर सीलचीट कर संबधितो के हस्ताक्षर कराये गये। तत्पश्चात् प्राईवेट वाहन में रखे ट्रेप बाक्स को श्री राजेश कुमार कानि0 से मंगवाया जाकर ट्रेप बाक्स में रखे दो साफ कांच के गिलासों में ग्राम पंचायत से पीने वाले साफ पानी को भरवाया जाकर उन दोनों कांच के गिलासों में एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा गवाहान ने भी घोल का रंग अपरिवर्तित बताया। एक रंगहीन घोल भरे गिलास में आरोपिया श्रीमती फुलवंती देवी सरपंच के दाहिने हाथ की अंगुलियो व अंगुठे को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हुआ। उक्त घोल को कांच की दो साफ शीशीयों में आधा–आधा भरवाया जाकर सीलचीट बंद करा मार्क आर.एच.–1 व आर.एच.–2 अंकित करा चीट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी प्रकार दूसरे रंगहीन घोल भरे गिलास में आरोपिया सरपंच श्रीमती फुलवंती देवी के बाये हाथ की अंगुलियो व अंगुठे को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग मटमैला हुआ। उक्त घोल को कांच की दो साफ शीशीयों में आधा–आधा भरवाया जाकर सीलचीट बंद करा मार्क एल.एच. –1 व एल.एच.–2 अंकित करा चीट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। आरोपिया ने रिश्वत राशि परिवादी से ग्रहण कर एक सफेद रफ कागज(एक्नोलेजमेन्ट स्लीप) श्रीमती अमरी रोत से संबधित है मे रखे गये थे जिसका धोवन लिया जाना आवश्यक होने से एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी भरवाया जाकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर का घोल तैयार कराया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। एक साफ रुई के टुकडे को साफ पानी में भिगोकर बरामद उक्त कागज के नोट रखे स्थान पर सावधानी पूर्वक घुमाया जाकर रुई को तैयार सोडियम कार्बोनेट के घोल में डूबोया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया जिसे दो साफ कांच की शिशियों में आधा आधा भरकर मार्क के–1 व के–2 अंकित कर सीलचीट कर चीट पर संबधितों के हस्ताक्षर कराये गये। रुई के टुकडे को जलाकर नष्ट किया गया। उक्त कागज पर पेन से सर्कल (गोला) कर संबधितों के हस्ताक्षर कराये जाकर शामील पत्रावली किया गया। आरोपिया श्रीमती फुलवंती देवी को इस ग्रहण की रिश्वत राशि में और किस–किस का भाग है तथा किस–किस को कितनी–कितनी रिश्वत राशि देनी है तो आरोपिया ने बताया कि यह बरामद रिश्वत राशि अपने स्वंय के लिये ली है इसमें और किसी का हिस्सा नही है तथा ना ही किसी और को यह रिश्वत राशि देनी थी। कार्यवाही के दौरान परिवादी के एसबीएम योजना से संबधित निर्माण कार्य की पत्रावली के संबध में आरोपिया सरपंच से पूछा गया तो उन्होने बताया कि ग्राम पंचायत का सम्पूर्ण रिकॉर्ड ग्राम विकास अधिकारी श्री के.के.सिंह के पास है जो राजकार्य से पंचायत समिति सागवाडा गये है। ग्राम विकास अधिकारी को जरिये दूरभाष प्रकरण से संबधित रिकॉर्ड अविलम्ब प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। समय 06.45 पीएम पर आरोपिया श्रीमती फुलवंती देवी सरपंच ग्राम पंचायत वरदा पंचायत समिति सागवाडा जिला डूंगरपुर को जुर्म अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) एक्ट, 2018 से आगाह कर जरिये

फर्द नियमानुसार गिरफ्तार किया जाकर फर्द गिरफ्तारी मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 07.00 पीएम पर घटनास्थल का निरीक्षण किया जाकर फर्द घटनास्थल नक्शा मौका मुर्तिब किया जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 07.45 पीएम पर ट्रेप कार्यवाही के दौरान परिवादी से संबधित दस्तावेज अविलम्ब उपलब्ध कराने हेतु ग्राम विकास अधिकारी श्री के.के. सिंह को जरिये दूरभाष निर्देशित किया गया था परन्तु ग्राम विकास अधिकारी उपस्थित नही आया है और पुनः जरिये दूरभाष सम्पर्क किया तो ग्राम विकास अधिकारी का मोबाईल स्वीच ऑफ आ रहा है। जिस पर श्री वीर विक्रम सिंह कानि. ब्यूरो इकाई डूंगरपुर को ग्राम विकास अधिकारी या विकास अधिकारी पंचायत समिति सागवाडा से सम्पर्क कर प्रकरण से संबधित आवश्यक रिकोर्ड लेकर ग्राम विकास अधिकारी के हमराह ब्यूरो इकाई बांसवाडा उपस्थित आने हेतु जरिये दूरभाष निर्देशित किया गया तथा मन् अति. पुलिस अधीक्षक, स्वतंत्र गवाहान, आरोपिया श्रीमती फुलवंती देवी सरपंच व श्रीमती पुनम महिला कानि. व ब्यूरो जाप्ता श्री राजेश कुमार कानि., श्री महेश कानि. व जप्त शुदा रिश्वत राशि 18000 रूपये, आरोपिया के दोनों हाथों का धोवन मार्क क्रमश आर.एच.–1 व 2, एल.एच.–1 व 2 तथा बरामद रिश्वत राशि कागज का धोवन के–1 व के–2 इत्यादि मय ट्रेप बॉक्स व लेपटोप प्रिन्टर व आवश्यक संसाधन के प्राईवेट वाहन मय चालक के तथा परिवादी व ब्यूरो जाप्ता श्री पंकज व लक्ष्मणसिंह के परिवादी के निजी कार में गांव वरदा से ब्यूरो इकाई बांसवाडा के लिये रवाना हुए। समय 10.00 पीएम पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान व ब्यूरो जाप्ता श्री राजेशकुमार कानि0, श्री महेश कानि, श्रीमती पुनम महिला कानि मय आरोपिया सरपंच व जप्त शुदा रिश्वत राशि 18000 रूपये, आरोपिया के दोनों हाथों का धोवन मार्क क्रमश आर.एच.–1 व 2, एल.एच.–1 व 2 तथा बरामद रिश्वत राशि कागज का धोवन के–1 व के–2 इत्यादि मय ट्रेप बॉक्स व लेपटोप प्रिन्टर व आवश्यक संसाधन के प्राईवेट वाहन मय चालक के तथा परिवादी व ब्यूरो जाप्ता श्री पंकज व लक्ष्मणसिंह के परिवादी के निजी कार में गांव वरदा से रवाना शुदा ब्यूरो इकाई बांसवाडा पहूंचा तथा जरिये दूरभाष पुलिस लाईन बांसवाडा से तलबिदा शुदा महिला कानिगण दुर्गा एवं तनुजा ब्यूरो इकाई बांसवाडा पर उपस्थित आयी। समय 10.15 पीएम पर आरोपिया श्रीमती फुलवंती देवी का मेडिकल परीक्षण कराने हेतु आरोपिया फुलवंती देवी व हमराह महिला कानि. दुर्गा व तनुजा तथा श्री राजेश कुमार कानि जरिये सरकारी वाहन बोलेरो के मेडिकल ज्युरिस्टर से स्वास्थ्य परीक्षण कराने हेतु मुनासिब हिदायत के रवाना किया गया। समय 11.00 पीएम पर आरोपिया श्रीमती फुलवंती देवी एवं महिला कानि. दुर्गा व तनुजा तथा श्री राजेश कुमार कानि जरिये सरकारी वाहन बोलेरो के ब्यूरो इकाई, बांसवाडा हाजिर आये। श्री राजेश कुमार कानि. द्वारा आरोपिया के मेडिकल ज्युरिस्टर से कराया गया स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। समय 11.15 पीएम पर दौराने ट्रेप कार्यवाही परिवादी श्री नरेन्द्रपाल सिंह व आरोपिया श्रीमती फुलवंती देवी सरपंच के बीच रिश्वत लेन–देन के वक्त हुई वार्तालाप जिसे परिवादी ने ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गयी हैं। ब्यूरो के टेप रिकोर्डर को लेपटॉप से कनेक्ट कर मूल सीडी एवं डब सीडी बनाई गई। मूल सी0डी0 परिवादी, आरोपिया एवं गवाहानों के समक्ष सुना जाकर फर्द रिश्वत लेनदेन वार्ता श्री लक्ष्मणसिह कनिष्ठ सहायक से मूर्तिब करा सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर मूल सीडी को एक कपडे की थैली में डालकर उस पर कागज की चीट लगाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर थैली को सीलचीट किया गया। प्रकरण में ब्यूरो मुख्यालय के निर्देशानुसार आरोपिया श्रीमती फुलवंती देवी का नियमानुसार आवाज का नमूना माननीय न्यायालय के समक्ष प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी द्वारा लिया जायेगा। दिनांक 28.04.2022 समय 12.15 एएम पर श्री वीर विक्रम सिंह कानि. हमराह श्री कृष्ण कुमार सिंह चुण्डावत ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत वरदा मय प्रकरण से संबधित आवश्यक रिकोर्ड लेकर उपस्थित आये। ग्राम विकास अधिकारी ने बताया कि ग्राम पंचायत में स्वच्छ भारत मिशन(ग्रा) के अन्तर्गत सोखता गड्डा(एसबीएम) योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा बैठक कार्य विवरण के निर्णय अनुसार प्रति गड्डा 19,000 रुपये की स्वीकृति ली गई थी। उक्त कार्य हेतु ओम बन्ना कन्स्ट्रक्शन वरदा द्वारा ग्राम पंचायत में 18,283 रुपये का प्रति गड्डे का कोटेशन दिया गया था। फर्म द्वारा दिनांक 16.07.2021 को कार्य प्रारम्भ कर दिनांक 30.07.2021 को 5 गड्डे का कार्य पूर्ण किया गया था। जिसके एवज में फर्म द्वारा बिल संख्या 101, 102, 104, 105 व 106 दिनांक 16.07.2021 प्रति बिल 13,700 रुपये का ग्राम पंचायत वरदा के नाम से प्रस्तुत किया गया था जिसके एवज में फर्म को दिनांक 22.04.2022 को कुल 68,500 रुपये का भुगतान जरिये बैंक से किया गया है तथा उक्त कार्य हेतु श्रम मद में प्रति गड्डा 4,500 रुपये व्यय किया गया है। उक्त कार्य के माप पुस्तिका संख्या 74 में तकनीकी सहायक श्री सुरेश चन्द्र पाटीदार द्वारा इन्द्राज किया गया है। श्री नरेन्द्रपाल सिंह ग्राम पंचायत वरदा के उप सरपंच है व ओम बन्ना कन्सट्रक्शन फर्म उनके स्वंय की है। उक्त प्रकरण से संबधित पत्रावली पेज संख्या 01 से 41 तक की छायाप्रति करवायी जाकर श्री कृष्ण कुमार सिंह ग्राम विकास अधिकारी से प्रमाणित कराकर शामील पत्रावली की गई व मूल पत्रावली पुनः ग्राम विकास अधिकारी को लौटाई गयी। समय 01.00 एएम पर प्रकरण में जप्त शुदा रिश्वत राशि 18,000 रूपये, आरोपिया श्रीमती फुलवंती देवी के दोनों हाथों का धोवन मार्क क्रमश. आर.एच.–1 व 2, एल.एच.–1 व 2 तथा बरामद रिश्वत कागज का धोवन के–1 व के–2 तथा रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता एवं लेनदेन वार्ता की मूल सीडी एवं डब सीडी इत्यादि को मालखाने के रजिस्टर में इन्द्राज कराया जाकर श्री राजेश कुमार कानि. कार्यवाहक मालखाना प्रभारी को सुपूर्द कर जमा मालखाना कराया गया।

प्रकरण में परिवादी द्वारा पेश लिखित रिपोर्ट, फर्द ट्रांसकिप्शन रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता, फर्द पेशकशी एवं सुपूर्दगी नोट एवं दृष्टान्त फिनॉफ्थेलीन पाउडर, फर्द बरामदगी रिश्वत राशि एवं हाथ धुलाई, फर्द नक्शा मौका घटनास्थल रिश्वत राशि ग्रहण, फर्द रिश्वत लेन–देन वार्ता तथा प्रकरण की समस्त परिस्थितियों से पाया गया कि आरोपिया श्रीमती फुलवंती देवी रोत सरपंच ग्राम पंचायत वरदा पंचायत समिति सागवाडा जिला डूंगरपुर द्वारा परिवादी श्री नरेन्द्रपाल सिंह ने ग्राम पंचायत वरदा में स्वच्छ भारत मिशन(एसबीएम) योजना के अन्तर्गत 5 सोखते गड्डे का निर्माण कार्य किया जाकर सामग्री पेटे प्रति गड्डा 13,700 रुपये कुल 68,500 रुपये का बिल माह जुलाई 2021 को ग्राम पंचायत में प्रस्तुत किया गया तो उक्त बिल के भुगतान हेतु आरोपिया श्रीमती फुलवंती देवी सरपंच द्वारा 20,000 रुपये रिश्वत की मांग करने पर दिनांक 25.04.2022 को रिश्वत मांग सत्यापन कराया गया तो 18,000 रुपये रिश्वत मांगने की पुष्टि होने पर दिनांक 27.04.2022 को आरोपिया सरपंच को परिवादी श्री नरेन्द्रपाल सिंह से रिश्वत राशि 18,000 रूपये लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया हैं। आरोपिया श्रीमती फुलवंती देवी रोत सरपंच ग्राम पंचायत वरदा पंचायत समिति सागवाडा जिला डूंगरपुर के विरूद्व जुर्म अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) एक्ट, 2018 का अपराध प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित है।

अतः आरोपिया श्रीमती फुलवंती देवी रोत पत्नि श्री अर्जुन लाल रोत उम्र 59 वर्ष जाति मीणा निवासी गांव वरदा तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर हाल सरपंच ग्राम पंचायत वरदा पंचायत समिति सागवाडा जिला डूंगरपुर के विरूद्व जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान् महानिदेशक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर की सेवामें प्रेषित हैं।

भवदीय,

(माधोसिंह)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,
भ्रनिब्यूरो, बांसवाडा

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री माधोसिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बांसवाड़ा ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपिया श्रीमती फुलवंती देवी रोत, सरपंच, ग्राम पंचायत वरदा, पंचायत समिति सागवाडा, जिला डूंगरपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 147/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

28/4/22

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांकः- 1290-94 दिनांक 28.4.2022

प्रतिलिपिः- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. उप शासन सचिव, पंचायतीराज विभाग राजस्थान, जयपुर।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बांसवाड़ा।

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।